06/2018 तीजो देवी vs पोसाराम व्गैरा

28.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018 मे अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा में पेश हुई। वकील प्रार्थीनी उपस्थित। विप्रार्थीगण को जारी लोक अदालत नोटिस प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण को दिनांक 17.2.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थें। रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई है। विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जानें के उपरांत भी हाजिर नहीं होनें पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस सुनी गई। बहस पर वकील प्रार्थीनी की आवेदन पत्र पर अंतिम मनन किया गया,पत्रावली एवं सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है। और अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानी चाहती है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपर्ति नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किये जानें योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सिणधरी चौसिरा)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 07/2018

प्रार्थीनी

तीजों देवी पत्नी गजेन्द्र कुमार

जाति जाट निवासी मोतीनगर

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

**बनाम**

विप्रार्थीगण

1. पोलाराम पुत्र किरताराम
2. मांगाराम पुत्र खेराजराम
3. मूलाराम पुत्र खेराजराम
4. वेहनाराम पुत्र खेराजराम
5. भीखी पत्नी खेराजराम
6. दानाराम पुत्र राणाराम
7. पुरखाराम पुत्र राणाराम

जाति जाट निवासी मोतीनगर

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

उपस्थितः–1.श्री बीजाराम गोदारा, वकील प्रार्थीनी की ओर से।

2.विप्रार्थीगणः–एकतरफा।

## आदेश

**दिनांक**– 28.6.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की आवगी खातेदारी भूमि ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 63/3 रकबा 23–00 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है, प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

तीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 63/3 रकबा 3–00 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीनी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस करवाई गई। एवं लोक अदालत में हाजिर होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीनी की आवगी खातेदारी ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 63/3 रकबा 23–00 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी के खातेदारी भूमि ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 63/3 रकबा 23–00 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 63/3 रकबा 23–00 बीघा भूमि की प्रार्थीनी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा, प्रार्थीनी का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 63/3 रकबा 23–00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की नियमानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

ार्यवाही तहसीलदार सिणधरी करावें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीनी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए ेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा )
**उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी**

आदेश आज दिनांक 28.6.18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी**
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner